पटना में दिनांक–26 नवम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

## कृषि विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जैविक खेती परियोजना के लिए वर्ष 2013–14 में 10504.78 लाख रूपये (एक अरब पाँच करोड़ चार लाख अठ्ठत्तर हजार रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति। | 1. | स्वीकृत। |

## वित्त विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापना में) अधिनियम 2002 की धारा–7 के तहत पटना एवं मुजफ्फरपुर में गठित होने वाले न्यायालयों के लिए व्यवहार न्यायालय संवर्ग में वर्ग III एवं IV के विभिन्न कोटि के 14 (चौदह) पदों के सृजन के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |

## विधि विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय, अधिनियम, 1887 (1887 का 2) में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013 की स्वीकृति। | 3. | स्वीकृत। |

## शिक्षा विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | राज्य के 72 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ₹ 8316.00 लाख (तेरासी करोड़ सोलह लाख) रूपये एवं 122 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन को पूर्ण करने हेतु ₹ 1461.44 लाख (चौदह करोड़ इकसठ लाख चौबालीस हजार) अर्थात् कुल ₹ 9777.44 लाख (संतानवे करोड़ सतहत्तर लाख चौबालीस हजार) रूपये की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–2014 में ₹ 2500.00 लाख (पचीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबधं में। | 4. | स्वीकृत। |

## स्वास्थ्य विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से एक लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि ₹ 25,00,00,000/– (पच्चीस करोड़) में से शेष बची राशि ₹ 15,00,00,000/–(पन्द्रह करोड़) मात्र राशि के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |

## स्वास्थ्य विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |

## विधि विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | न्यायिक भवनो यथा :– कोर्ट एवं आवासीय भवन के निर्माण कार्य केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत कराये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति तथा पूर्व में चल रहे निर्माण कार्य को भी नई योजना के साथ–साथ केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सामंजन किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति। | 7. | स्वीकृत। |

## कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। | 8. | स्वीकृत। |

## मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग दिनांक–30.11.2013 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक–01.12.2013 से अगले 2 (दो) वर्षों के लिए नियोजन संविदा के आधार पर करने के संबंध में। | 10. | स्वीकृत। |

## निर्वाचन विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों का सृजन हेतु बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम में संशोधन के संबंध में। | 12. | स्वीकृत। |

## सहकारिता विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लिए गये ऋण के विरूद्ध दिनांक– 05.01.2014 के पूर्व ब्याज मद के भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 3,31,90,000.00 (तीन करोड़ एकतीस लाख नब्बे हजार) अग्रिम की स्वीकृति। | 13. | स्वीकृत। |

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | पूर्णिया जिलान्तर्गत अमौर अंचल के मौजा–रमनीकला, थाना सं०–244, खाता सं०–287, खेसरा सं०–200, रकबा–0.52 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि किस्म पुरानी परती नदी को 5,20,000 (पाँच लाख बीस हजार) रूपया सलामी एवं 6,50,000 (छः लाख पचास हजार) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 11,70,000 (ग्यारह लाख सत्तर हजार) रूपये के भुगतान पर राज्य योजना के अन्तर्गत 33/11 के०भी० उपकेन्द्र की स्थापना हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। | 14. | स्वीकृत। |

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. केन्द्र सरकार के सम्पूर्ण व्यय भार पर केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना स्कीम–कृषि गणना अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सृजित उप निदेशक, वेतनमान रूपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 6600 से एक पद को संयुक्त निदेशक, वेतनमान रूपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 7600 में उत्क्रमण एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी वेतनमान रूपये 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपये 4600 में एक पद और सांख्यिकी सहायक वेतनमान रूपये 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपये 4200 के एक पद तथा आशुलिपिक वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन रूपये 2400 के एक पद का अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति।

15. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी अंचल के मौजा–वेहटा, थाना सं०–184 रकबा–1.48 एकड़ भूमि (खेसरा सं०, रकबा–अनुलग्नक I में अंकित) जो पूर्व में बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के लिए अधिग्रहित 44.08 एकड़ भूमि का अंश है, का बेनीपट्टी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारियों के आवास के निर्माणार्थ विधि विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण।

16. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. किशनगंज जिले के दिघलबैक अंचल के मौजा– मोहमारी, थाना सं०–310, चक खाता सं०–412, चक खेसरा सं०–822, रकबा–1 (एक) एकड़ किस्म–भीठ, अनाबाद सर्वसाधारण भूमि, जिसकी प्रकृति बदल कर आवासीय हो गयी है, को 3,74,400 (तीन लाख चौहत्तर हजार चार सौ) रू० सलामी एवं 1,87,200 (एक लाख सतासी हजार दो सौ) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 5,61,600 (पाँच लाख एकसठ हजार छः सौ) रू० के भुगतान पर एस०एस०बी० 12वीं बटालियन के मोहमारी, बी०ओ०पी० हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण।

17. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. अररिया जिला एवं अररिया अंचल के मौजा–बसंतपुर, थाना सं०–206, खाता सं०–2438, खेसरा सं०–1531, रकबा–32 डिसमिल गैर मजरूआ खास, बिहार सरकार, परती भूमि (जो पी०डब्लू०डी० के अहाते के अंदर है) को जिला परिवहन कार्यालय भवन अररिया के निर्माण हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क, अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण।

18. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. | मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही अंचल के मौजा–नेऊर, थाना सं०–60, खाता सं०–406, खेसरा सं०–326, रकबा– 1. 66 एकड़ गैर मजरूआ आम, भिण्डा भूमि 5,47,800 (पाँच लाख सैतालीस हजार आठ सौ) रूपया सलामी एवं लगान का 25 गुणा अर्थात् 6,84,750 रूपया (छः लाख चौरासी हजार सात सौ पचास) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 12,32,550 (बारह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ पचास) रूपया के भुगतान पर एस०एस०बी० कैम्प हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण। | 19. | स्वीकृत। |

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20. | अररिया जिला के नरपतगंज अंचल अन्तर्गत मौजा–चकोड़वा, थाना सं०–183, खाता सं०– आर०एस० 448 (चक–334), खेसरा सं०–आर०एस० 315 (चक–227) कुल रकबा–7 (सात) डिसमिल, अनाबाद सर्वसाधारण भूमि का स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क एवं स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण। | 20. | स्वीकृत। |

## कृषि विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत न्यूट्रीफार्म योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में 2343.00 लाख रूपये तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रशासकीय/आकस्मिकता मद के लिए 100 लाख रूपये, कुल 2443 लाख रू० (चौबीस करोड़ तैंतालीस लाख रूपये) के व्यय की स्वीकृति। | 21. | स्वीकृत। |

## शिक्षा विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निरन्तर विषयवार शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविदा पर सेवानिवृत्त शिक्षक के नियोजन के संबंध में। | 22. | स्वीकृत। |

## स्वास्थ्य विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013 अधिसूचित करने की स्वीकृति। | 23. | स्वीकृत। |